

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक सम्पदा की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी की आवंटित नहीं की गई है।

ह0/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)



ह0/-
प्रमाणित वनाधिकारी

✓

ह0/-
प्रमाणित वनाधिकारी

ह0/-
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून